



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052021-227211
CG-DL-E-28052021-227211

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1895]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 2021/ज्येष्ठ 7, 1943

No. 1895]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 2021/ JYAISHTHA 7, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2021

का.आ. 2037(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 35 के पश्चात तथा उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों को जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-

सारणी

(1)	(2)	(3)
"36	शून्य	संघ शासित प्रदेश सरकार लद्दाख

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का. आ. 1096 (अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का. आ. 1585 (अ), दिनांकित 13 अप्रैल, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14013/22/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2021

S.O. 2037(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the Schedule to said notification, after serial number 35 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be added, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
“36	NIL	Government of Union Territory of Ladakh”

Note : The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1585 (E), dated the 13th April, 2021.

[F. No. NH-14013/22/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2021

का.आ. 2038(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1956 (1956 का 56) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 4583(अ), दिनांकित 17 दिसंबर, 2020 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका के कॉलम सं. (1), (2) और (3) में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों का विलोपन किया जाएगा:-

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	खंड किमी में
(1)	(2)	(3)
नई रारा सं. 301	हिमलिंग से जांसकर खंड	किमी 196.25 से 234.00

उक्त अधिसूचना की तालिका के कॉलम सं. (1), (2) और (3) में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों के लिए:-

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	खंड किमी में
------------------------	-----	--------------

(1)	(2)	(3)
नई रारा सं. 301	कारगिल से तंगोले खंड	किमी 0.00 से 78

कॉलम संख्या (1), (2) और (3) में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	खंड	खंड किमी में
(1)	(2)	(3)
नई रारा सं. 301	कारगिल से जांसकर खंड	किमी 0.00 से 234.00

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. का.आ. 4583 (अ), दिनांक 17 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. एनएच-14013/22/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2021

S.O. 2038(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 4583 (E), dated the 17th December, 2020, namely:-

In the Table to the said notification, the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively shall be omitted:-

National Highway number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
New NH No. 301	Himling to Zanskar section	km. 196.25 to 234.00

In the Table to the said notification, for the following entries, under columns number (1), (2) and (3) respectively:-

National Highway number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
New NH No. 301	Kargil to Tangole section	km. 0.00 to km. 78

shall be substituted by the following entries under columns number (1), (2) and (3) respectively :-

National Highway number	Section	Stretch in kilometers
(1)	(2)	(3)
New NH No. 301	Kargil to Zanskar section	km. 0.00 to km. 234.00

Note : The principal notification was published vide number S.O 4583 (E), dated the 17th December, 2020.

[F. No. NH-14013/22/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2021

का.आ. 2039(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 31 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सारणी

(1)	(2)	(3)
“31	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1ए (किमी 0.000 से किमी 286.000 और किमी 303.800 से किमी 534.250 तक को छोड़कर), सं. 1सी, नई रारा सं. 144, नई रारा सं. 444 और नई रारा सं. 501 के उतने भाग जो जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश में अवस्थित हैं।	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश सरकार”

टिप्पण : मूल अधिसूचना को का. आ. 1096 (अ), दिनांकित 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का. आ. 1585 (अ), दिनांकित 13 अप्रैल, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा. सं. एनएच-14013/22/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2021

S.O. 2039(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 31 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“31	So much of new National Highway No. 1A (excluding from km. 0.00 to km. 286.000 and from km. 303.800 to km. 534.250), No. 1C, new NH No. 144, new NH No. 444 and new NH No. 501 as is situated within the UT of Jammu and Kashmir.	Government of UT of Jammu and Kashmir”

Note : The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 1585 (E), dated the 13th April, 2021.

[F. No. NH-14013/22/2020-P&M]

RAJESH GUPTA, Director